

किसान हितार्थ समूह के गठन के लिए प्रस्ताव का प्रारूप

आज दिनांकको किसान हितार्थ समूह के गठन के लिए
.....पर, श्री
.....की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निम्न व्यक्तियों ने भाग लिया तथा सर्वसम्मती से निम्न
प्रस्ताव पारित किए गए।

01)

02)

03)

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

प्रस्ताव संख्या १ :-

बैठक में सर्व सम्मती से निर्णय लिया गया कि
.....करने के उद्देश्य से क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 15, तक के सभी व्यक्तियों को मिलाकर किसान
हितार्थ समूह का गठन किया जायगा। समूह का नाम
.....रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या २ :-

.....किसान हितार्थ समूह
के सदस्यों ने सर्व सम्मती से श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को अध्यक्ष रूप में, श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को सचीव रूप में तथा श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को कोशाध्यक्ष रूप में चुना है एवं नियुक्त किया है, जो समूह की
दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की व्यवस्था व संचालन करेंगे और उसके संबंधित सभी प्रकार मामलों में उसकी
ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे तथापि प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से
हटाया जा सकता है और उसी प्रकार नये प्रतिनिधा चुने जा सकते हैं।

प्रस्ताव संख्या ३ :-

सर्व सम्मती से निर्णय लिया गया कि
.....के
.....शाखा में समूह का बचत खाता खोला जाए जिसका संचालन सचिव श्री/श्रीमती.....
.....एवं कोशाध्यक्ष श्री/ श्रीमती
..के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाए।

प्रस्ताव संख्या ४ :-

समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को सम्मिलित रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए विषे 1 रूप से प्रधाकृत किया जाता हैं।

i) समूह द्वारा की गई बचतों, उन्हे प्रदान किए गए ःणों, उनसे प्राप्त वसूलियों के संबंधा में उचित एवं व्यवस्थित खाता-बही तैयार रखना या रखवाना तथा प्रति वर्ष सम्पूर्ण लेखा को समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृती हेतु प्रस्तुत करना।

ii) समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदों को या पावतियों को जारी करना।

iii) समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधाक कार्यवाही धुरु करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अधावक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना या उसे विमुक्त करना तथा इससे संबंधात सभी प्रकार के विधाक व्ययों को वहन करना।

प्रस्ताव संख्या ५ :-

सर्व सम्मती से निर्णय लिया गया कि समूह का प्रत्येक सदस्य रू.....(रूपया
.....), मात्र की राधि 1 सप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर
कोशाध्यक्ष/सचिव के पास जमा करेगा, जिसे कोशाध्यक्ष/सचिव बैंक के बचत खाते में यथा धीध्र जमा कर देंगे।
जो सदस्य समय पर बचत की राधि 1 नहीं जमा करेगा उसे दण्ड स्वरूप रू..... (रूपया
.....), मात्र के साथ बचत की राधि 1 अगले सप्ताह/पक्ष/माह
में जमा करना पडेगा।

प्रस्ताव संख्या ६ :-

यह निर्णय लिया गया कि समूह के किसी सदस्य को यदि ःण की आवध यकता पडती है तो वह समूह के
अध्यक्ष को आवेदन देगा एवं बैठक में सर्व सम्मती से यह निर्णय लिया जाएगा कि उक्त सदस्य को ःण दिया
जाए या नहीं और यदि दिया जाए तो कितनी मात्र तक। ःण लेने वाले सदस्य को मासिक: ब्याज
स्वरूप अदा करना पडेगा। सचिव एवं कोशाध्यक्ष की यह सामुहिक जबाबदेही है कि उक्त सदस्य के ःण के

रकम को मासिक किस्त में विभक्त कर उसमें ब्याज की राशि जोड़ कर सदस्य को सूचित कर दे जिससे सदस्य समय पर भुगतान कर दें।

प्रस्ताव संख्या ७ :-

समूह की बैठक मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक आधार पर होगी एवं बैठक में अनुपस्थित सदस्यों या देर से आने वाले सदस्यों से दण्ड स्वरूप रु..... (रूपया), मांग की राशि वसुली जाएगी।

प्रस्ताव संख्या ८ :-

समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधायक उतराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा मृतक सदस्य की सभी प्रतिबद्धताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

प्रस्ताव संख्या ९ :-

यह निर्णय लिया गया कि किसी सदस्य को समूह में से हटाने या समूह में नए व्यक्ति को शामिल करने के लिए बैठक में सर्व सम्मती से निर्णय लेकर ही आगे की कार्यवाई की जाएगी।

प्रस्ताव संख्या १० :-

समूह की अगली बैठक दिनांकको
.....पर दिन केबजे आयोजित होगी।